न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **115 / 2014** अपील (भू राजस्व)

1. श्रीमति राधी पत्नि हीराजी मेघवाल (पुत्री स्व. श्री अमराजी मेघवाल) निवासी ग्राम नउवा (चन्देसरा), तहसील मावली जिला उदयपुर
2. श्रीमति लेहरी पत्नि श्री पुरा जी (पुत्री स्व. श्री अमराजी मेघवाल) निवासी ग्राम घासा, तहसील मावली जिला उदयपुर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्री लखमा पिता अमराजी मेघवाल, निवासी शोभजी का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
2. श्री रूपा पिता अमराजी मेघवाल, निवासी शोभजी का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
3. श्री डालचन्द पिता अमराजी मेघवाल, निवासी शोभजी का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
4. श्रीमति केसी पत्नि स्व. श्री लोगर जी मेघवाल, निवासी शोभजी का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
5. श्री बाबूलाल पुत्र स्व. श्री लोगर जी मेघवाल, निवासी शोभजी का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
6. श्रीमति बसन्ती पत्नि शिवलाल जी मेघवाल, (पुत्री स्व. श्री लोगरजी) निवासी विजनवास, तहसील मावली, जिला उदयपुर
7. श्रीमति जमुड़ी पत्नि मांगूजी मेघ्वाल (पुत्री स्व. श्री लोगरजी) निवासी ग्राम बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
8. श्रीमति टमकी पत्नि बदाजी मेघवाल (पुत्र स्व. श्री लोगरजी) निवासी सालेराकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर
9. श्री हेमा पुत्र दूदा रेगर, निवासी नयाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
10. श्री रामा पिता कालू मेघवाल, निवासी साकरिया खेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर
11. श्री डालू पिता मनोहर जी मेघवाल, निवासी साकरियाखेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर
12. श्री शान्तिलाल पिता मनोहर जी मेघवाल, निवासी गोटीपा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

13. श्री गणेश पिता चमनाजी मेघवाल, निवासी गोटीपा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
14. श्री सुरेश कुमार पिता कालूजी सालवी निवासी साकरियाखेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर
15. श्री रूपलाल पिता कालूजी सालवी निवासी साकरियाखेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर
16. गीता पुत्री कालूजी सालवी, निवासी साकरियाखेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर
17. पीथा पुत्र कालूजी मेघवाल, निवासी गोटीपा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
18. श्री हेमु पुत्र पीथा मेघवाल, निवासी गोटीपा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
19. श्री केसुलाल पिता गोदा मेघवाल, निवासी सिंधियों की वासनी, तहसील मावली, जिला उदयपुर
20. श्री प्रेम पिता गोदा मेघवाल, निवासी सिंधियों की वासनी, तहसील मावली, जिला उदयपुर
21. श्री गोकूल पिता भेरा मेघवाल, निवासी बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
22. श्री कूकाराम पिता भेरा मेघवाल, निवासी बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
23. श्री रोड़ीलाल पिता चमनाजी मेघवाल निवासी गोटीपा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
24. श्री मांगीलाल पिता उदाजी मेघवाल, निवासी गोटीपा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
25. श्री बाबूराम पिता नन्दाजी मेघवाल, निवासी साकरियाखेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर
26. श्री लेहरू पिता घासीराम जी मेघवाल, निवासी ग्राम रेला, पंचायत बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
27. राज्य सरकार जरिये तहसील मावली, जिला उदयपुर

.....रेस्पोडेन्टगण

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 66, दिनांक 04.06.1992 द्वारा तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर</u>

उपस्थितः (1) श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
(2) श्री मनोज कुमार पवॉर, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 04.06.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण के दादाजी नन्दा जी मेघवाल थे जिनके तीन पुत्र क्रमशः अमरा, लाला व हिराजी थे। नन्दा जी की मृत्यु के बाद विरासत से उनकी कृषि भूमि उनके तीनो पुत्रो के नाम आयी। अमरा के कुल दो लड़किया अपीलान्टगण एवं 4 लड़के है जो क्रमशः लखमा, रूपा, डालचन्द व लोगर हैं। इनमें लोगर की मृत्यु होने से उसकी पत्नि श्रीमती केसी पुत्र बाबु एवं तीन लड़किया क्रमशः बसन्ती, जमुड़ी एंव टमकी हैं। अमराजी की मृत्यु के बाद विरासत से जो नामान्तरकरण खोला गया जिसका नम्बर 66 है जिसमें अपीलान्टगण श्रीमती राधी एवं श्रीमती हमेरी का नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। जबकि उनके पुत्रो के नाम पर ही खोला गया। जो नितान्त गलत एवं विधि विरूद्ध होने से खारीज योग्य हैं। अपीलान्टगण अमरा जी की जायन्दा पुत्रियॉ हैं। जिनका अमराजी की कृषि भूमि में बराबर का हक हैं। किन्तु अमराजी के पुत्रो एवं पटवारी हल्का बोयणा ने मिली भगत कर अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरण से हटा दिया एव जमीन को खुर्दबुर्द कर दी। इसलिये वर्तमान में जो भी खातेदार है उन सभी को इस अपील में रेस्पाडेंट बनाया गया। अतः तहसीलदार मावली द्वारा पारित किया गया उक्त नामान्तरकरण नैसर्गिक न्याय के विपरीत खोला गया हैं जो प्रारम्भ से ही शुन्य एवं अवैध हैं। अतः उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाकर अमरा पिता नन्दा बलाई के समस्त विधिक वारीसानो के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार मावली को प्रदान किये जावें।

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 का भी प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली हैं।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। बावजुद नोटिस तामिल के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 26 अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध दिनांक 14.05.18 को एकतरफा कार्यवाही की गई। रेस्पोडेंट संख्या 27 की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित हो कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बोयणा में अपीलान्ट के दादाजी नन्दा जी मूल पूरूष थे। उनके तीन पुत्र अमरा लाला व हिराजी हुए। नन्दा जी की मृत्य के बाद उनके तीनो पुत्रो के नाम पर राजस्व रेकार्ड में भूमि दर्ज हुई। जिसमें अपीलान्ट के पिता अमरा जी की दो लड़किया अपीलान्टगण एवं चार लड़के क्रमशः लखमा रूपा डालचन्द व लोगर हैं। इनमें लोगर की मृत्यु होने से उसकी पत्नि श्रीमती केसी, पुत्र बाबु एवं तीन लड़किया क्रमशः बसन्ती, जमुड़ी एवं टमकी हैं। अमराजी की मृत्यु के बाद विरासत से नामान्तरकरण नम्बर 66 जिसे खोलते समय अपीलान्टगण को बिना सुने मात्र उनके चार वारीसानो के नाम नामान्तरकरण खोला गया। अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया हैं। जबकि अपीलान्टगण भी अमराजी की पुत्रियॉ होकर विधिक वारीसान हैं। मात्र चार पुत्रो के नाम पर खोला गया नामान्तरकरण नितान्त गलत एवं विधिविरूद्ध होने से खारीज होने योग्य हैं। जबकि अमराजी की कृषि भूमि में अपीलान्टगण का भी बराबर हक हिस्सा हैं। अमरा जी के पुत्रो एवं पटवारी हल्का बोयणा ने मिलीभगत कर अपीलान्टगण का नाम नामान्तरकरण से हटा दिया एवं जमीन को खुर्दबुर्द कर दिया। इसलिये वर्तमान खाते में जो भी

खातेदार है उन सभी को इस अपील में रेस्पाडेंट बनाया गया हैं। अमराजी के पुत्रो को कोई अधिकार नहीं है कि वे अमराजी की पुत्रियों को अमराजी की जायदाद से वंचित करें। अतः नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 04.06.92 निरस्त फरमाया जाकर स्वर्गीय अमरा जी के सभी वारीसानो के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किय जावें।

प्रकरण में उपस्थित विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। किये गये कथनो पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि बिना सुने या नोटिस दिये बिना पारित किया गया नामान्तरकरण को कभी भी चुनौती दी जा सकती हैं। क्योंकि पारीत किया गया आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हितबद्ध पक्षकारानो को बिना सुने उनकी अनुपस्थिति में ही नामान्तरकरण पारित कर दिया गया हैं। अतः प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीयो का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना न्यायोचित हैं।

हस्तगत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अपीलार्थी के कथनो के आधार पर प्रथम दृष्ट्या यह स्वतः ही साबित होता है कि अपीलार्थीगण श्री अमरा पिता नन्दा निवासी भोपतखेड़ी की जायन्दा पुत्रियॉ हैं। श्री अमरा जी की मृत्यु के पश्चात् हिन्दु उत्तराधिकारी के प्रावधानो के तहत पुत्रियों का भी हक बनता हैं और इस प्रकार उत्तराधिकार के आधार पर पुत्रियों को भी हक मिलना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा बिना जॉच किये मात्र अमराजी के पुत्रो के नाम पर ही नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 04.06.92 स्वीकृत कर दिया जो कि त्रुटीपूर्ण हैं। यद्यपि अपीलान्टगण ने नामान्तरकरण की अपील 25 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की है परन्तु मात्र इस आधार पर उसके उत्तराधिकार के तहत मिलने वाले हक समाप्त नहीं हो जाते है

साथ ही प्रश्नगत नामान्तरकरण जो स्वीकृत किया गया था वह अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हितबद्ध पक्षकारानो को कभी कोई नोटिस नहीं देकर उनकी उपस्थिति में ही नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। ऐसे नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली का ग्राम भोपतखेड़ी का नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 04.06.92 निरस्त किया जाता हैं एवं तहसीलदार मावली को प्रकरण इस आशय के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हितबद्ध समस्त पक्षकारो को सुनकर नियमानुसार स्वर्गीय श्री अमरा पिता नन्दा निवासी भोपतखेड़ी के वैध वारीसानो के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार मावली को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर